ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 66

भू-संसाधन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		900.00	0.90	900.90	800.00	0.89	800.89	900.00	0.99	900.99
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**900.00**	**0.90**	**900.90**	**800.00**	**0.89**	**800.89**	**900.00**	**0.99**	**900.99**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	0.90	0.90	...	0.89	0.89	...	0.99	0.99
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
बंजर भूमि विकास										
2. राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड	2501	6.60	...	6.60	4.00	...	4.00	8.90	...	8.90
	3601	0.40	...	0.40	0.13	...	0.13	0.10	...	0.10
	जोड़	*7.00*	*...*	*7.00*	*4.13*	*...*	*4.13*	*9.00*	*...*	*9.00*
3. एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाएं स्कीम	2501	393.80	...	393.80	360.12	...	360.12	350.00	...	350.00
	3601	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*398.80*	*...*	*398.80*	*365.12*	*...*	*365.12*	*351.00*	*...*	*351.00*
4. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2501	190.00	...	190.00	190.00	...	190.00	210.00	...	210.00
5. मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम	2501	135.00	...	135.00	135.00	...	135.00	160.00	...	160.00
6. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण	2501	9.80	...	9.80	9.80	...	9.80	11.00	...	11.00
	3601	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*10.80*	*...*	*10.80*	*10.80*	*...*	*10.80*	*14.00*	*...*	*14.00*
भूमि सुधार										
7. भूमि सुधार	2506	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3601	66.40	...	66.40	65.50	...	65.50	64.00	...	64.00
	3602	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	जोड़	*68.40*	*...*	*68.40*	*67.50*	*...*	*67.50*	*66.00*	*...*	*66.00*
8. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	90.00	...	90.00	27.45	...	27.45	90.00	...	90.00
कुल जोड़		***900.00***	***0.90***	***900.90***	***800.00***	***0.89***	***800.89***	***900.00***	***0.99***	***900.99***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	741.60	...	741.60	705.05	...	705.05	744.00	...	744.00
2. भूमि सुधार	12506	68.40	...	68.40	67.50	...	67.50	66.00	...	66.00
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	22552	90.00	...	90.00	27.45	...	27.45	90.00	...	90.00
जोड़		**900.00**	**...**	**900.00**	**800.00**	**...**	**800.00**	**900.00**	**...**	**900.00**

1. इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय-व्यय के लिए प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड मुख्यतः गैर-वन क्षेत्रों की बंजरभूमि के विकास के लिए उत्तरदायी है, जिसका उद्देश्य भूमि के विकृतिकरण पर नियंत्रण करना, ऐसी बंजर भूमि को स्थायी उपयोग में लाना और जैव पदार्थों, विशेषतया जलावन एवं चारे, की उपलब्धता में वृद्धि करना है। यह बोर्ड लोगों का सहयोग प्राप्त करने और योजना के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देने का प्रयास करेगा।

3. यह एक चालू योजना है, जिसके अन्तर्गत बड़ी परियोजनाओं को लघु जल संभर के आधार पर शुरु किया जाता है। 2000-2001 तक मंजूर की गई परियोजनाओं को शत-प्रतिशत आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है।

4. सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एक क्षेत्रक विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल और मानव ससाधनों के इष्टतम उपयोग की नीति के आधार पर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम है जिसे बराबर की राशियों के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, पहली अप्रैल, 1999 से वर्ष 2000-2001 के दौरान स्वीकृत की गयी नयी परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर निधियां आवंटित की जाएंगी। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 179 जिलों में 947 ब्लाकों में प्रचालन में है।

5. मरुभूमि विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुभूमिकरण को नियंत्रित करना और दीर्घावधि में पारिस्थितिकी संतुलन की बहाली के लिए भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना, उनका विकास करना और उपयोग में लाना तथा सिंचाई, वनरोपण, शुष्क भूमि में खेती करने आदि के माध्यम से उत्पादन, आय और रोजगार के स्तरों में भी वृद्धि करना है। वर्ष 1995-96 से मरुभूमि क्षेत्रों की पहचान तीन श्रेणियों के अन्तर्गत, यथा गर्म रेतीले शुष्क क्षेत्र,

गर्म शुष्क क्षेत्र और ठंडे शुष्क क्षेत्र के रूप में की गयी है। दिनांक 1.4.1999 के पश्चात् स्वीकृत परियोजनाओं के मामलों में आवंटन का विभाजन केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर किया जाता है। तथापि, दिनांक 1.4.1999 से पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर वित्तपोषित किया जाता रहेगा। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों में 227 ब्लाकों में प्रचालन में है।

6. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण स्कीम के लिए प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत जो परियोजनाएं सरकारी भूमि पर चल रही हैं उन्हें 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है और निजी भूमि पर चल रही परियोजनाओं के खर्चों को केन्द्र सरकार और किसानों/निगम निकायों के बीच 60:40 में विभाजित किया जाता है।

7. भूमि सुधार के अन्तर्गत राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि के रिकार्डों को अद्यतन करने की स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को 50:50 के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। भूमि के रिकार्डों को कम्प्यूटरीकृत करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वयनाधीन है। यह एक 100 प्रतिशत सहायता-अनुदान प्राप्त स्कीम है। देश में अब तक 560 जिलों को कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है और यह स्कीम देश की 2252 तहसीलों/तालुकों/मंडलों में प्रचालित की जा चुकी है ।

8. इसमें सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।